## **Create "C" Form Online**

- 1. नीचे दिए निर्देशों को सावधानी से पढ़े तथा अंत में वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट को खोले।
- 2. अपना User ID तथा Password भर कर Login करे।
- 3. स्क्रीन पर दिए "Loging Statutory Form" आइकोन / बटन को क्लिक करे।
- 4. स्क्रीन पर प्रकट Login फिल्ड में एक बार पुनः User ID की जगह CST TIN तथा उसके नीचे पासवर्ड भरे एवं Login करे।
- 5. स्क्रीन पर प्रकट बॉक्स में से "Upload Goods in Transit / Recocilation Statement" को क्लिक करे।
- नए खुले पेज में खरीद बिलों का विवरण भरने के लिए "Template, के नीचे लिखे लाइन के अंतिम शब्द Form C को क्लिक करे और "Seller-wise Inter-State Purchase and Transit Reconcilation Sheet डाऊनलोड करे।
- 7. डाऊनलोड किये गए सीट को सही-सही भरे एवं Upload कर दे।
- 8. "Transit Reconcilation Sheet" Upload करने के बाद पुनः साइड मेनू में उल्लेखित "Requisition for online Forms" को क्लिक करे तथा "Upload Purchase Sheet for BOCS" का पेज खुलने दे।
- 9. नए खुले पेज में खरीद बिलों का विवरण भरने के लिए "Template, के नीचे लिखे लाइन के अंतिम शब्द Form C को क्लिक करे और "Seller-Wise Detail of Inter-State Purchase made During the Quarter" को डाऊनलोड करे।
- 10. डाऊनलोड किये गए सीट को सही-सही भरे एवं Upload कर दे।
- 11. सिस्टम जब ये दिखाए कि "No error found in the uploaded form" तो उसके नीचे लिखे "Submit" बटन को क्लिक कर दे।
- 12. डाटा Upload करने के बाद आप चाहे तो Upload किये गए सीट को दख सकते है। आपको लगे कि डाटा गलत भरे गए है तो, आप Upload को केंसल कर दे तथा एक बार पुनः सावधानी से पुरी प्रक्रिया दोहराए।
- 13. डाटा Upload करने के बाद "Generate Acknowledgement" को क्लिक करे। स्क्रीन पर एक स्वीकृति पत्र प्रदर्शित होंगी, जिसे प्रिंट कर रख ले।
- 14. अब आपका डाटा वाणिज्य कर विभाग के पास स्वीकृति के लिए जायेगा, जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद, वांछित "C" फार्म आपके प्रोफाइल में भेज दिए जायेंगे।
- 15. उक्त "C" Form PDF फार्मेट में आपको उपलब्ध होंगे। आप इन्हें "Download Approved Form" लिंक को क्लिक कर डाऊनलोड करे।
- 16. अब आपका "C" फार्म आपके पास है। आप जब चाहे इनका प्रिन्ट ले सकते है।
- 17. किसी प्रकार की असुविधा होने पर विभागीय हेल्प लाइन संख्या 1800 3456 102 पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक फ़ोन करे या इमेल : vattcs.helpdesk@gmail.com पर लिखे।